संख्या:76/2023/446233/12-2099/2380/2019-1270/2023

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त, गोरखपुर एवं आजमगढ़ मण्डल।
2. जिलाधिकारी, गोरखपुर/देवरिया/महाराजगंज/कुशीनगर एवं मऊ।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊः दिनॉकः 15 सितम्बर, 2023

विषयः जनपद गोरखपुर के धुरियापार में निर्मित हो रहे कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट हेतु आपूर्तिकर्ता एफ0पी0ओ0 एवं एफ0पी0ओ0 के कृषक सदस्य को एग्रीगेटर के रूप में अनुदान पर पराली/फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रों के वितरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्याः अभि0-13(1)/681/शासनादेश पत्रा0/2023-24, दिनांक 14 अगस्त, 2023 प्रेषित प्रस्ताव द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश में फसल अवशेष के इन-सीटू एवं एक्स-सीटू प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार के प्रोत्साहन से विभिन्न तेल कम्पनियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लान्ट की स्थापना की जा रही है। एक ऐसा ही संयंत्र जनपद गोरखपुर के धुरियापार स्थान पर स्थापित किया गया है। इन संयंत्रों में मुख्य रूप से धान की पराली को कच्चे माल की तरह प्रयोग किया जाना लक्षित है। इस पराली की आपूर्ति के लिए जनपद गोरखपुर व निकटवर्ती अन्य 4 जनपदों के एफ.पी.ओ. तैयार हैं। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार की जैव ऊर्जा नीति द्वारा भी इन संयंत्रों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 14 अगस्त, 2023 को जनपद गोरखपुर के धुरियापार कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट हेतु शर्त के साथ अनुमोदित किया जाता है कि कृषि यंत्रों हेतु अनुदान की सीमा इन-सीटू एवं SMAM योजना की गाइड-लाइन के अनुरूप ही होगी। इस वितरण से आच्छादित होने वाले जनपद गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर एवं मऊ होंगे। साथ ही, इस वितरण हेतु कृषि यंत्रीकरण की योजनाओं के संचालन हेतु निर्गत एकीकृत शासनादेश संख्या-63/2023/1063/12-2-2023/100(05)/2014, दिनांक 05 अगस्त 2023 में वर्णित ई-लाटरी व बुकिंग की व्यवस्था में शिथिलता दी जायेगी।

3. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन व अनुमोदन संबंधी कार्यवाही की जायेगी। इस वितरण के अनुदान का भुगतान अनिवार्य रूप से डी.बी.टी. के माध्यम से ही किया जाएगा।

कृपया तदनुसार अपने स्तर से अगिम कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डॉ0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:76/2023/446233(1)/12-2099/2380/2019-1270/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर/कुशीनगर/महाराजगंज/देवरिया/मऊ।
4. संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, गोरखपुर मण्डल एवं आजमगढ़ मण्डल।
6. महाप्रबंधक, आई0ओ0सी0एल0, सी0बी0जी0 प्लान्ट, धुरियापार, गोरखपुर।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।